



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 380 राँची, मंगलवार,

18 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

28 मई, 2020

आदेश संख्या-5/आरोप-1-38/2017 का0- 2584 -- श्री लियाकत अली, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-796/03), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा के विरुद्ध परिवादी (1) श्री अरविन्द कुमार भदानी, जेवर झंडा चौक, झुमरी तिलैया, कोडरमा द्वारा समर्पित परिवाद में 1956 के फर्जी बंटवारनामा को सही बनाने तथा अंचल अधिकारी, कोडरमा के सत्यापित दस्तावेजों को नगण्य करते हुए दीपक कुमार, चारडीह, कोडरमा के साथ अन्याय करने तथा (2) श्री दीपक यादव, चारडीह कोडरमा द्वारा समर्पित परिवाद में मौजा-मोरियावां, खाता संख्या-17, प्लॉट सं.-16 रकबा, 66 डी0 जमीन की मापी रोकने संबंधी आरोप लगाया गया है।

2. उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-6027, दिनांक 08.05.2017 एवं पत्रांक-10659, दिनांक 16.10.2017 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी।

3. उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-192/रा0, दिनांक 01.02.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें आवेदक द्वारा श्री अली, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा पर लगाया गया आरोप तथ्य से परे एवं आधारहीन प्रतिवेदित किया गया।

4. उपायुक्त, कोडरमा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-5628, दिनांक-27.07.2018 के द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की मांग की गयी।

5. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2671, दिनांक 19.07.2019 द्वारा उक्त मामले उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-190/स्था0, दिनांक 06.06.2019 द्वारा प्रेषित मंतव्य अग्रसारित किया गया, जिसमें परिवादियों द्वारा लगाए गए आरोप तथ्य से परे एवं आधारहीन प्रतिवेदित किया गया है।

6. समीक्षोपरांत, श्री लियाकत अली, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा के विरुद्ध प्रतिवेदित परिवाद-पत्रों पर उपायुक्त, कोडरमा एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
